...अदालत

...अहकाम

(नियम 20)

(राजस्व)

मुकाम

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बनाम वीरो पुत्री सावण हल्का 28 P.

किस्म मुकद्मा नाजायज काश्त धारा 22 उपनि सं. 113 सन् 2020 अधिनियम 1954

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय	नम्बर व तारीख अहम की जो इस हुक्म की तामिल में जारी किये
11-09-2020	रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर हल्का प्राप्त हुई है कि अप्रार्थी श्री वीरो पुत्री श्री सावण जाति बावरी साकिन 6 PB ने चक 27 PB के मु.नं. 58 कि.नं. 3, 4, 5 में कुल 0.570 हैक्टर/बीघा राजकीय भूमि पर सम्वत् 2077 (खरीफ) में नाजायज काश्त की है अतः रिपोर्ट के आधार पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध नाजायज काश्त की पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे एवं अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो तथा गिरदावर हल्का का पत्रावली में आगामी निर्णय तक किसी उच्च अदालत का स्थगन आदेश न हो तो फसल अपनी तहवील मे लेने बाबत आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 25-09-2020 को पेश हो।	
25-09-2020	पत्रावली पेश में ली गई। अप्रार्थी उपस्थित होकर नाजायज काश्त की कार्यवाही ड्रॉप करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रकरण में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना होने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। निर्णय अनुसार ILR/ पटवारी हल्का को लिखा जावे।	R.K. वीरो

Signature Not Verified

Digitally signed by Amar Singh Bhankhad
Date: 2020.12.18 16:33:53 IST
Reason: SelfAttested